रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-30012025-260635
SG-DL-E-30012025-260635

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 2025/माघ 9, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 368
No. 32] DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2025/MAGHA 9, 1946 [N. C. T. D. No. 368

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 29 जनवरी, 2025

फा. सं. 1/37/2024—न्यायिक/अधी. विधि/106—111.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 29 मई, 1970 की अधिसूचना संख्या 1/2/70/डीएच (एस), दिनांक 25 जुलाई, 1970 की अधिसूचना संख्या 1/2/70—डीएच (एस) द्वारा यथासंशोधित के साथ पठित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद् द्वारा दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** — (1) इन नियमों को दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **डीएचजेएस नियमावली, 1970 के नियम 7ग की परिशिष्ट के खंड II और V में संशोधन** —	दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में, विद्यमान नियम 7ग की परिशिष्ट के खंड II और V के स्थान पर (जिसे डीएचजेएस नियमों में दिल्ली सरकार की दिनांक 26.12.2019 की अधिसूचना

	संख्या फा. 6/50/2019–न्यायिक/अधी. विधि/2461–2465 द्वारा सन्निविष्ट गया था), निम्नलिखित खंड II और V को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

परिशिष्ट

(देखें नियम 7ग)

प्रारंभिक परीक्षा

II- प्रारंभिक परीक्षा एक अर्हक प्रकृति की स्क्रीनिंग परीक्षा होगी और इसमें बहुविकल्पीय आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का एक पेपर होगा, जिसके अधिकतम 150 अंक होंगे। इसमें 150 प्रश्न होंगे, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 25 प्रतिशत नकारात्मक अंकन होगा।

प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान, समसामयिक विषय, अंग्रेजी भाषा, भारत का संविधान; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023; परिसीमा अधिनियम, 1963; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; भारतीय दंड संहिता, 1860 और भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय संविदा अधिनियम, 1872; भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932; मध्यस्थता तथा समाधान अधिनियम, 1996; विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963; संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882; माल विक्रय अधिनियम, 1930; परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881; भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925; हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट), 2012; ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम (डीआरटी एक्ट), 1993; वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (एसएआरएफएईएसआई एक्ट), 2002; मोटर वाहन अधिनियम, 1988; औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936; कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; कारखाना अधिनियम, 1948; उपदान संदाय अधिनियम, 1972; किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015; वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015; भविष्य निधि अधिनियम, 1925; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट), 2000; व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999; प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957; पेटेंट अधिनियम, 1970 तथा डिजाइन अधिनियम, 2000 पर आधारित प्रश्न शामिल होंगे।

मुख्य (लिखित) परीक्षा

V. मुख्य(लिखित) परीक्षा में निम्नलिखित चार पेपर होंगे जिनके समक्ष अधिकतम अंक निर्दिष्ट होंगे :

पेपर	विवरण	अधिकतम अंक
पेपर–I	**सामान्य ज्ञान तथा भाषा** – यह उम्मीदवार के समसामयिक विषयों आदि के ज्ञान और अंग्रेजी में अभिव्यक्ति की शक्ति का परीक्षण करने के लिए है। विषय–वस्तु और अभिव्यक्ति दोनों के लिए अंक दिए जाएंगे। इसके विपरीत गलत अभिव्यक्ति, व्याकरण की त्रुटियों और शब्दों के गलत उपयोग आदि के लिए कटौती की जाएगी।	150
पेपर–II	**विधि–I** – भारत का संविधान; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023; परिसीमा अधिनियम, 1963; पंजीकरण अधिनियम, 1908; वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015; न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870; व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999; प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957; पेटेंट अधिनियम, 1970; डिजाइन अधिनियम, 2000 तथा ऐसे अन्य विषय जो उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं।	200
पेपर–III	**विधि–II** – संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882; भारतीय संविदा अधिनियम, 1872; माल विक्रय अधिनियम, 1930; भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932; विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963; मध्यस्थता कानून (मध्यस्थता और समाधान अधिनियम, 1996); पर्सनल लॉ ख्भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925; हिंदू विवाह अधिनियम, 1955; विशेष विवाह अधिनियम, 1954; हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम, 1956; संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890; मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019; मुस्लिम महिला (तलाक अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986; तलाक अधिनियम, 1869,; ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम (डीआरटी अधिनियम), 1993; वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (एसएआरएफएईएसआई एक्ट), 2002; मोटर वाहन अधिनियम,	200

	1988; औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936; कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; कारखाना अधिनियम, 1948 तथा ऐसे अन्य विषय जो उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं।	
पेपर–IV	**विधि–III** – भारतीय दंड संहिता, 1860 तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो अधिनियम), 2012; किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000; परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881; धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002; घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005; दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 तथा ऐसे अन्य विषय जो उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं।	200

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रीतेश सिंह, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 29th January, 2025

F. No. 1/37/2024-Judl./Suptlaw/106-111.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affair's Notification No. F. 1/2/70/DH(S), dated the 29th May, 1970 as amended by Notification No. F.1/2/70-DH(S), dated the 25th July, 1970 and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi in consultation with the High Court of Delhi, hereby makes the following rules to further amend the Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970:-

1. Short title and commencement- (1) These rules may be called the Delhi Higher Judicial Service (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to clause II and V of the Appendix to Rule 7C of DHJS Rules, 1970- In the Delhi Higher Judicial Service Rules 1970, in place of existing clause II and V of the Appendix to Rule 7C *(which was inserted in DHJS Rules vide Govt. of NCT of Delhi Notification No.F.6/50/2019-Judl./Suptlaw/2461 - 2465 dated 26.12.2019)*, the following Clause II and V shall be substituted, namely: -

APPENDIX

(See Rule 7C)

PRELIMINARY EXAMINATION

II. The Preliminary Examination will be a screening test of qualifying nature and will consist of one paper of multiple choice based objective type questions carrying a maximum of 150 marks. There shall be 150 questions with each question carrying one mark with 25% negative marking for each wrong answer.

The Preliminary Examination shall include questions on General Knowledge, Current Affairs, English Language, The Constitution of India; The Indian Evidence Act, 1872 and Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023; The Limitation Act, 1963; The Code of Civil Procedure, 1908; The Code of Criminal Procedure, 1973 and Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023; The Indian Penal Code, 1860 and Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023; The Indian Contract Act, 1872; The Indian Partnership Act, 1932; The Arbitration and Conciliation Act, 1996; The Specific Relief Act, 1963; The Transfer of Property Act, 1882; The Sale of Goods Act, 1930; The Negotiable Instruments Act, 1881; The Indian Succession Act, 1925; The Hindu Succession Act, 1956; The Prevention of Corruption Act, 1988; The Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO

Act), 2012; The Recovery of Debts and Bankruptcy Act (DRT Act), 1993; The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (SARFAESI Act), 2002; The Motor Vehicles Act, 1988; The Industrial Disputes Act, 1947; The Payment of Wages Act, 1936; The Employee's Compensation Act, 1923; The Minimum Wages Act, 1948; The Factories Act, 1948; The Payment of Gratuity Act, 1972; The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015; The Commercial Courts Act, 2015; The Provident Funds Act, 1925; The Information Technology Act (IT Act), 2000; The Trade Marks Act, 1999; The Copyright Act, 1957; The Patents Act, 1970 and The Designs Act, 2000.

MAIN (WRITTEN) EXAMINATION

V. The Main (Written) Examination shall consist of the following four papers with the maximum marks specified against it: -

Papers	Description	Max. Marks
Paper-I	**General Knowledge & Language** - This is to test the candidate's knowledge of current affairs etc. and power of expression in English. Credit will be given both for substance and expression. Conversely deduction will be made for incorrect expression, faults of grammar and wrong use of words etc.	150
Paper-II	**Law-I** - The Constitution of India; The Code of Civil Procedure, 1908; The Indian Evidence Act, 1872 and Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023; The Limitation Act, 1963; The Registration Act, 1908; The Commercial Courts Act, 2015; The Court Fees Act, 1870; The Trade Marks Act, 1999; The Copyright Act, 1957; The Patents Act, 1970; The Designs Act, 2000 and such other subjects as may be specified by the High Court from time to time.	200
Paper-III	**Law-II** - The Transfer of Property Act, 1882; The Indian Contract Act, 1872; The Sale of Goods Act, 1930; The Indian Partnership Act, 1932; The Specific Relief Act, 1963; Arbitration Law (The Arbitration and Conciliation Act, 1996); Personal Laws [The Indian Succession Act, 1925; The Hindu Marriage Act, 1955; The Special Marriage Act, 1954; The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956; The Guardians and Wards Act, 1890; The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019; The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986; The Divorce Act, 1869]; The Recovery of Debts and Bankruptcy Act (DRT Act), 1993; The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (SARFAESI Act), 2002; The Motor Vehicles Act, 1988; The Industrial Disputes Act, 1947; The Payment of Wages Act, 1936; The Employee's Compensation Act, 1923; The Minimum Wages Act, 1948; The Factories Act, 1948 and such other subjects as may be specified by the High Court from time to time.	200
Paper-IV	**Law-III** - The Indian Penal Code, 1860 and Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023; The Code of Criminal Procedure, 1973 and Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023; The Indian Evidence Act, 1872 and Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023; The Prevention of Corruption Act, 1988; The Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO Act), 2012; The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015; The Information Technology Act, 2000; The Negotiable Instruments Act, 1881; The Prevention of Money-Laundering Act, 2002; The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005; The Dowry Prohibition Act, 1961 and such other subjects as may be specified by the High Court from time to time.	200

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

REETESH SINGH, Principal Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.01.30 22:44:09 +05'30'